



**VISIONIAS**  
INSPIRING INNOVATION  
**ABHYAAS MAINS**

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2929)**

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

**सामान्य अनुदेश**

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

**General Instructions**

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 516283

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Anurag Ranjan Vatal

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी  
Medium: Hindi/English

Hindi

तारीख  
Date

29/08/24

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)  
GENERAL STUDIES (Paper II)**

केंद्र  
Centre

Mukherjee Nagar

निरीक्षक के हस्ताक्षर  
Invigilator's Signature


Murugan

	<p style="text-align: center;"><b>महत्वपूर्ण अनुदेश</b></p> <p>उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।</p>	<p style="text-align: center;"><b>Important Instructions</b></p> <p>Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.</p>
1	<p>(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें।</p> <p>(ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।</p>	<p>(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates.</p> <p>(b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet</p>
2	<p>अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।</p>	<p>Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.</p>
3	<p>परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।</p>	<p>Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.</p>
4	<p>उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।</p>	<p>Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.</p>
5	<p>उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।</p>	<p>Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.</p>
6	<p>प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।</p>	<p>Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.</p>
7	<p>प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।</p>	<p>Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.</p>
8	<p>यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।</p>	<p>If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.</p>

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
<p>परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)</p>	

**प्रासांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))**

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					



**VISIONIAS**  
INSPIRING INNOVATION  
**ABHYAAS MAINS**

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2029)**

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: **250**  
Maximum Marks: **250**

**प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश**

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

कुल बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

**QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS**

*Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.*

*There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.*

*All questions are compulsory.*

*The number of marks carried by a question/part is indicated against it.*

*Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.*

*Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.*

*Keep the word limit indicated in the questions in mind.*

*Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.*

## EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

**All the Best**

1. असहमति की अभिव्यक्ति संसद के कामकाज का केंद्रीय तत्व है। इसके आलोक में, भारत की संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता (LoP) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Expression of dissent is central to the functioning of the Parliament. In light of this, discuss the role of the Leader of Opposition (LoP) in India's parliamentary system. (Answer in 150 words)

10

संसद का निर्माण विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है जोकि चुनाव जीत कर आते हैं। इसमें सरकार के पक्ष के सदस्य तथा विपक्ष के दोनों सदस्य होते हैं।

असहमति की अभिव्यक्ति का संसद के कामकाज में महत्व -

- 1) संसद में सरकारी विधेयको पर व्यापक चर्चा देना सरकार को मजबूर करते हैं।
- 2) ~~अ~~ किसी सरकारी नीति या योजना या विधेयक पर असहमति व्यक्त करने पर इसको जॉय 'इ-घायी संसदीय समिति' द्वारा होती है।
- 3) असहमति व्यक्त करने देना विपक्ष विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करता है - प्रश्नकाल में प्रश्न पूछकर,

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर, अविक्रवास प्रस्ताव लाकर, किसी मुद्दे को JPC में भेजकर, बजट पर चर्चा करके आदि।

4) असहमति की आग्निव्याप्ति जनता के प्रश्नों व समस्याओं से संसद को अवगत कराया जाता है।

संसदीय व्यवस्था में LOP की भूमिका

1) LOP को (कैबिनेट मंत्री) का दर्जा दिया जाता है। अतः वह सरकार के मंत्री के बराबर शक्ति प्राप्त रखता है जिसके कारण वह सरकार की नीतियों व योजनाओं के संबंध में वह सरकार के उत्तरदायित्व को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती ~~सकता~~ है।

2) सदन में विपक्षी दलों के विचारों व मतों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को सदन के समक्ष रखता है।

4) बजट, आदि पर सरकार से व्यापक प्रश्न करता है।

LOP का संसदीय व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है।

2. न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का समावेशन न्याय प्रदायगी के संदर्भ में पहुंच, क्षमता और दक्षता को किस प्रकार बढ़ा सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
- How can the integration of technology into judicial processes enhance accessibility, capability, and efficiency in justice delivery? (Answer in 150 words)

10

ADR के अनुसार भारतीय न्यायालय में लगभग 5 करोड़ केसेस लांबत है जिसके कारण न्याय प्रदायगी में देरी हो रही है।

उपरोक्त समस्या समाधान में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का महत्व-

- 1) 'ई-फाइलिंग' सुविधा से अधिकतम लोगों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा और पट्टेच भी बढ़ जायेगा।
- 2) 'वीडियो-कांफ्रेंसिंग' से न्याय-निर्णय होने पर प्रशासन, न्यायालय तथा प्रभावित पक्ष अपने बचे हुए कार्य को समय दे पायेंगे।
- 3) 'e-court' के माध्यम से लोगों अपने केस की तथ्य संपत्ति 'update' को देख पायेंगे तथा

कोर्ट में लगने वाली श्रृंखला व उससे जनित समस्या कम होगी। परिणामतः (क्षमता निर्माण) में वृद्धि होगी।

उम्मीदवारों को इस हाथिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

प्रौद्योगिकी विस्तार हेतु किये गए प्रयास

- i) e-क्रान्ति पहल के तहत न्यायपालिका में श्री e-governance को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ii) गुजरात कोर्ट द्वारा 'न्यायिक संबंधी' update हेतु 'e-clock' का अनावरण किया गया है।
- iii) विभिन्न HC व SC द्वारा स्थापक न्यायिक चर्चा हेतु e (e-court) व (Live Court) की सुविधा प्रदान की गयी है।

ये सारे प्रयास न्यायपालिका की क्षमता व दक्षता में वृद्धि करेगी तथा न्यायपालिका में (पेंडिंग केसेस) को हल करने में सहायता प्रदान करेंगी।

3. भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीकृत सत्ता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता को जटिल रूप से संतुलित करके भारत के संघवाद में अद्वितीय विषमता को बनाए रखा है। न्यायालय द्वारा दिए गए प्रासंगिक पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
- The Supreme Court of India has upheld unique asymmetry in India's federalism by intricately balancing centralized authority and regional autonomy. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words)

'भारतीय संघवाद' को बनाए रखने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने ~~अपने कई निर्णयों के माध्यम~~ समय-समय पर कई निर्णय दिये हैं जोकि निम्नलिखित इस प्रकार हैं -

- ① डी. सी. वाघवा मामले में SC ने कहा कि राज्यपाल को बार-बार (अध्यादेश) जारी करने से बचना चाहिए।
- ② 'कूपर वाद' में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को 'राज्य सरकार द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
- ③ 'कृष्णा कुमार मामले' में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा लिये गए (विधेयक संबंधी) निर्णय

को न्यायिक समीक्षा के अधीन  
माना।

4) (केशवानन्द भारती केस) में  
(आधारभूत संरचना) का सिद्धान्त  
प्रदान करके केन्द्र के असीमित  
शाक्ति को सीमित किया।

सार यह सभी  
उच्चतम न्यायालय के निर्णय केन्द्र  
सरकार की असीमित शक्तियों पर  
अंकुश लगाते हैं तथा संघवाद  
की भावना में राष्ट्र हेतु  
स्वयंसेवा प्रदान करते हैं।

4.

भारत में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Evaluate the effectiveness of the National Commission for Scheduled Castes in safeguarding the interests of the Scheduled Castes in India. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस खंड में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

~~नाम~~ National Commission for Scheduled Castes (NCSC) एक संवैधानिक आयोग है जिसको Art - 338 के अन्तर्गत एक संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है।

संरचना

- एक अध्यक्ष
- एक उपाध्यक्ष
- 5 अन्य सदस्य

NCSC की प्रभावशीलता

- 1) NCSC अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं का मूल्यांकन करती है तथा आवश्यक सुधार सरकार को प्रदान करती है।
- 2) राष्ट्रपति द्वारा ~~दिए~~ भेदे गए विषयों पर सुझाव प्रदान करती है ताकि SC के लिए बेहतर नीतियाँ व योजनाएँ बनायी जा सकें।

- 3) SC के अर्बिलाफ होने वाले अेदभाव के लिए ( Suo Moto ) संज्ञान ले सकती हैं।
- 4) SC वर्ग का कोई व्यक्ति अपने से संबंधित समाया हेतु SC से संपर्क कर सकता है।
- 5) SC वर्ग के बेहतर हेतु 'Best Practices' का अुलपांकन करती हैं तथा उसको लागू करने हेतु सरकार को सुझाव देती हैं।

### सीमाएँ

- आरक्षण संबंधी मुद्दे पर सुझाव व अर्चा नहीं देती हैं।
- इसके सुझाव सहाहकारी हैं न कि बाध्यकारी।

सारत: NCSC जैसी संवैधानिक संस्थाएँ वर्ग को संरक्षित करने के साथ-साथ सरकार के अुत्तरदायित्व को विधान में सहती अूमिका अावा करती हैं।

5.

संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पहचान रही है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)  
 Executive accountability to the legislature through Parliamentary Committees has been the hallmark of the Indian political system. Comment. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस कक्ष में नहीं लिखना चाहिए  
 Candidates must not write on this margin

10

संसदीय समितियाँ कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में विधायिका की मदद करती हैं।

ये संसदीय समितियाँ

दो प्रकार की होती हैं

रचायी समिति

अरचायी समिति

Eg: Public Account Committee; (PAC)

सरकारिय प्रोग्राम समिति

प्रतिकूलन समिति  
 आदि

विशेषीकृत कार्य  
 हेतु

संसदीय समिति का कार्य व महत्व

1) PAC, CAG द्वारा जमा की गयी ऑडिट वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करती है तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय के संबंध में उसकी जवाबदेही तय करती है।

2) बजट में मंत्रालयों द्वारा किये गए  
(अनुदान मांग) की जाँच कर  
बिजट (बजटीय प्रित्वापिता) में सहयोग  
प्रदान करती है।

3) विभिन्न विरोधी विधेयको व  
मुद्दों पर JPC के माध्यम से  
व्यापक जाँच व विमर्श के माध्यम  
से पक्षों को प्रस्तुत करती है।

Eg :- बकफ कानून संशोधन को JPC  
द्वारा जाँच किया जा रहा है।

4) समितियाँ जाँच के द्वारा प्राप्त तथ्यों  
व गड़बड़ियों के संबंध में मंत्री  
को सदन में जबावदेह बना सकती  
है तथा इस आधार पर -  
अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है।

सारत: ये संसदीय  
प्रक्रिया संसद के सशाक्तिकरण में  
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6.

भारत नागरिक चार्टर को किस प्रकार शासन में सुधार करने और नागरिकों को सशक्त बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बना सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How can India make Citizens' Charter a powerful tool for improving governance and empowering citizens? (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस कक्ष में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

नागरिक चार्टर (CC) एक प्रकार का नागरिकों को किसी संस्था द्वारा प्रदान किया गया अधिकार होता है। इसके माध्यम से संस्थाएँ अपनी सेवाओं के संबंध में नागरिकों को अधिकार प्रदान करती हैं।

शासन सुधार में CC की भूमिका-

- 1) संस्था में पारदर्शिता वृद्धि हेतु C.C. ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 2) शासन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में शासन को जबाबदेहिता सुनिश्चित करती हैं।
- 3) सेवा संबंधी प्रश्न नागरिक शासन से प्रत्यक्षतः पूछ सकता है।  
(जन आगीकारी वृद्धि का)

नागरिकों को सशक्त बनाने में CC की महत्व -

1) नागरिक शासन व संस्था से सेवा की मांग कर सकते हैं

दिष्ट: सरकारी अस्पताल 24x7 सर्विस से प्रभा नहीं कर सकता है

2) PDS के अन्तर्गत यदि उपयुक्त लाभार्थी को ~~PDS~~ FPS बना कर सकता है तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं।

3) मनरेगा के अन्तर्गत यदि किसी लाभार्थी को वांचित किया जाता है तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं।

अन्य महत्व

→ C.C. ने विधि के विपक्ष को लागू करने में योगदान दिया, गरीबों, वांचितों को सशक्त विकास की मुख्य धारा में लाया

साथ: CC ने (गुड गवर्नेंस) व (सेवात्मक मॉडल) लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

7.

कॉर्पोरेट दानकर्ता भारत में समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने में NGOs की किस प्रकार सहायता करते हैं?  
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How do corporate donors aid NGOs in facilitating holistic development in India? (Answer in 150 words)

10

कॉर्पोरेट दानकर्ता CSR तथा उसके अन्यत्र भी व्यापक स्तर पर NGO या अन्य सामाजिक समूहों को दान प्रदान करके सहायता प्रदान करते हैं।

Ex:- बिल रॉड प्रिलिंदा गेट्स फ़ाउंडेशन, टाटा द्वारा दान करना आदि।

समग्र विकास में NGO की सहायता कॉर्पोरेट दानकर्ता द्वारा निम्नलिखित तरीकों से की जाती है।

- 1) NGO को वित्तीय सहायता प्रदान करके।
- 2) आवश्यक तकनीकी मान प्रदान करके।
- 3) NGO को ~~ए~~ किसी कार्यक्रम या योजना संबंधी आवश्यक

कौशल विकास में कार्पोरेट द्वारा  
सहायता प्रदान की जाती है

उ० उत्तराखण्ड के (निगामी NDO) को  
पर्यावरण संरक्षण हेतु (TATA)  
ग्रुप द्वारा तकनीकी सहयोग  
प्रदान किया जाता है

4) SHGIS के विकास में NDO  
द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई  
जाती है

3) गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारत के  
कई NDOs को स्वास्थ्य क्षेत्र में  
विभिन्न सहयोग प्रदान किया  
जाता है

ये सहयोग NDOs द्वारा  
व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन  
में भागीदारी निभाते हैं।

8.

POCSO अधिनियम के गुणों के बावजूद, इसकी मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए क्या इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite its merits, should the POCSO Act be revisited to correct the existing inadequacies?  
(Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस हाथिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

बालकों की यौन हिंसा से सुरक्षा हेतु POCSO अधिनियम को पारित किया गया था।

POCSO के गुण

↳ बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। (यौन हिंसा के खिलाफ)

↳ दोषी हेतु सं. को 90% का प्रावधान है।

↳ 18 वर्ष से छोटे बच्चों को शारीरिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता।

↳ ( जुविनाइल टैल्प ) प्रदान की जाती है।

## POCSO की कठिपौ

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों  
यदि अपने (consent) से  
संबंध बनाते हैं तो भी वह  
कानून के तहत POCSO का  
त्रावधान करता है।

देशिक स्तर पर ऐसे नियम  
किसी और लोकतांत्रिक देश  
में नहीं हैं।

अतः वर्तमान समय  
की मांग है कि इस पर  
पुनर्विचार करके इसको  
सुधार किया जाए।

9.

चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर रणनीतिक बंदरगाहों के अधिग्रहण के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों एवं आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

China's acquisition of strategic ports globally has significant implications for international trade routes and economic relations. Discuss. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस हफ्ते में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

चीन अपनी 'Debt trap' diplomacy के तहत विभिन्न राष्ट्रों में महत्वपूर्ण बंदरगाहों का अधिग्रहण कर रहा है।

Q9 :- भारत का डेबन ट्रेप बंदरगाह

निहितार्थ

चीन अपनी वैश्विक पहुँच बढ़ाना चाहता है अपनी (सुपर पावर) के रूप में अतिरिक्त कक्षा चाहता है।

BR1 के द्वारा (इंडिंग ऑफ पर्थ) के 'Indian ocean' में अपनी दखल बंदगी चाहता है।

→ भारत को प्रतिसंशुद्धित  
करना चाहता है।

भारत के लिए प्रभाव

→ हिन्द महासागर में रुबरु  
समस्या

→ EPEC द्वारा संयुक्तता  
को चुनौती,  
(जम्मू कश्मीर)

ये सभी चुनौतियाँ  
भारत के लिए समस्या तथा  
चीन के लिए काफ़े व्हा  
कार्य करेगी।

10.

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के मुख्य कार्य क्या हैं? बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर इसकी हालिया संधि से भारत को क्या लाभ होगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the main functions of the World Intellectual Property Organization (WIPO)? How will its recent treaty on intellectual property, genetic resources and associated traditional knowledge benefit India? (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस हप्ति में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

## WIPO के कार्य

वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा व्यवस्था का मौकलम करना

प्रदर्शन सूचकांक का निर्माण करना

नवाचार में बेहतर कार्य कर रहे देशों संबंधी लिस्ट जारी करना

विभिन्न देशों को बौद्धिक संपदा संबंधी मानकों के निर्माण में सहायता प्रदान करना ।

## हालिया संधि से भारत को लाभ

उम्मीदवारों को  
इस हाशिये में  
नहीं लिखना  
चाहिए  
Candidates  
must not  
write on  
this margin

→ भारत अपने बौद्धिक संपदा  
अधिकार को विश्व के महत्वपूर्ण  
देशों में रख पायेगा।

### परिणाम

भारतीय एवसें EU व अमेरिका  
में प्रभाव आसँगी,

WTO के अन्तर्गत व्यापार  
में वृद्धि होगी।

→ DM करालो के- निर्माण में  
सहयोग मिलेगा।

→ नागोया व कार्बोना प्रतिक्रम  
के संबंधित लाभ मिलेगा।

साधु : ये सभी  
लाभ इस संधि से प्राप्त होंगे।

11.

यद्यपि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भ्रष्टाचार से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी कार्यप्रणाली की प्रायः पक्षपातपूर्ण होने तथा संघीय भावना के विरुद्ध कार्य करने के लिए आलोचना की जाती है। समुचित उदाहरणों की मदद से चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While the Central Bureau of Investigation (CBI) plays a crucial role in combating corruption, its functioning is often criticized for being partisan and acting against the federal spirit. Discuss with the help of suitable examples. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को  
इस हफ्ते में  
नहीं लिखना  
चाहिए  
Candidates  
must not  
write on  
this margin

CBI की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने  
के लिए 'संघान्त कमेटी' की अनुशंसा  
पर 'Delhi Police special establishment  
Act - 1945' के अन्तर्गत हुई थी

CBI की महत्वपूर्ण भूमिका

① भ्रष्टाचार को कम करने में

- लोकपाल के सहयोग हेतु कार्य करना
- ED के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के से संबंधित मामलों को हल करना
- 'सत्यम घोषाले' को CBI द्वारा ही पर्दाफाश किया गया था।

## 2) अन्य भूमिका

↳ बड़े आपराधिक मामलों की दान-वीन में सहयोग

↳ High Court व Supreme Court (SC) के आदेश पर बड़े मामलों को देखना।

उदा: हालिया R.G. Kar Medical Rev मामला.

↳ राज्यों द्वारा सहायता माँगने पर जांच करना।

उदा: एचएस भगदड़ कांड (U.P.)

किन्तु इन महत्वपूर्ण सहयोग के बाद भी CBI पर पक्षपातपूर्ण होने के आरोप लगाते रहते हैं।

## CBI की सीमाएँ व आरोप

- 1) कई राज्यों द्वारा (General consent) वापस ले लिया गया है
- 2) (दिल्ली <sup>राज्य</sup> सरकार) द्वारा 'सकसाइज मामले' में CBI द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्य करने का आरोप लगा है

3) SC द्वारा CBI के कार्य संबंधी

• गतिविधि के कारण (पिंजरे में बंद तोला) कहा गया है यानि CBI केन्द्र सरकार के अ दिशा-अनिर्देशा अनुसार कार्य करती है

4) कई विपक्षी पार्टियों (केन्द्र से विपक्षी)

द्वारा CBI आरोप लगाया गया है कि सरकार CBI का प्रयोग विपक्ष को कमजोर करने हेतु कर रही है

जिसे तमिलनाडु की DMK व महाराष्ट्र की शिवसेना (UBT) द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया।

way forward :- CBI एक स्वायत्त संस्था है अतः इसकी कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप न दिया जाए।

सातः CBI का कार्य विभिन्न मामलों को समाधान करके (संघर्ष) में प्रयोग करना है अतः राज्य व केन्द्र द्वारा इसके प्रयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर रखना चाहिए

भारत में राज्यपाल प्रायः अपनी संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल रहते हैं। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Governors in India often overstep their constitutional role and fail to act effectively when needed.  
Comment. (Answer in 250 words)

राज्यपाल प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार की अनुमति पर की जाती है।

राज्यपाल के संबंध में उसकी भूमिका व कार्यप्रणाली पर समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा प्रश्नचिह्न लगाया जाता है।

### राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका

- 1) राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में।
- 2) किसी भी विधेयक के अधिनेपन अथवा हेतु अन्तिम हस्ताक्षर व निर्णय
- 3) सरकार निर्माण में (विधानसभा के संपर्क में)
- 4) बजट प्रस्तुत करवाने हेतु सच्चा आहूत करना
- 5) कार्यपालिकापी प्रमुख की भूमिका निभाना।
- 6) अध्यादेश पारित करना (213)
- 7) संवैधानिक नियुक्ति करना आदि

## राज्यपाल द्वारा अपनी श्रुतिका का अतिक्रमण -

उम्मीदवारों को इस हाथिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

- ① तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा बजट भाषण के कुछ प्रसंगों को पढ़ने से मना करना।
- ② कई बार सरकार निर्माण के समय परंपराओं का उल्लंघन करना।

Ex: महाराष्ट्र सरकार निर्माण प्रणाली।  
(जी. सी. वाघवा केस का उल्लंघन)

- ③ Art-201 के अन्तर्गत विशेषक को राष्ट्रपति हेतु अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं।

राज्यपाल द्वारा अप्रभावी दृग से किए गए कार्य -


- 1) ~~सद~~ सदन के सदस्यों को समयपूर्वक सदन का वापस आह्वान न करना।

Ex: ( बंगाल असेंबली ) मामला

2) ~~राज्यपाल~~ ~~की~~ पहले किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजना तदुपरान्त राष्ट्रपति के लिए आराखित कर देना।

उ०:- केरल के राज्यपाल द्वारा ऐसा किया गया।

3) राज्य विश्वविद्यालयों में vice-chancellor को नियुक्त करने के संबंध में राज्यपाल - राज्य सरकार के बीच तनाव दिखता है।

उ०:-  केरल  
पश्चिम बंगाल

सारतः राज्यपाल का कार्य (सहायि संघवाद) को बढ़ाना है। अतः उसे सरकारी व पुंजी कमीशन द्वारा अनुशासित सुझावों का ध्यान करते हुए (संघवाद) को बढ़ावा देना चाहिए।

13.

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है, लेकिन उनकी निर्वाचन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भिन्नताएं विद्यमान हैं। दोनों देशों की निर्वाचन पद्धतियों में मुख्य भिन्नताएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Both India and the USA adhere to democratic principles but their electoral systems exhibit significant differences. What are the key differences in electoral practices between the two countries? (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को  
इस हार्शिए में  
नहीं लिखना  
चाहिए  
Candidates  
must not  
write on  
this margin

USA विश्व का सबसे पुराना लोकतन्त्र है तो भारत विश्व का सबसे नया लोकतन्त्र है। दो ही देशों ने लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का आकाधन पालन किया है

→ संवैधानिक प्रमुख → चुनाव या नियुक्ति

→ स्वतन्त्रता, समानता को स्थापित किया है

→ प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से आते हैं

→ विधि का निर्माण जुने हुए प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा होता है

→ लोकतांत्रिक मूल्य :- fundamental Right को दोनो देश सर्वाधिक महत्व देते हैं।

→ वास्तविक शक्ति का स्रोत (जनता) के अन्दर निहित है।

उपरोक्त लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करने के बावजूद USA व भारत की निर्वाचन प्रणालियों के बीच ~~बड़े~~ व्यापक अंतर विद्यमान है।

### निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था

USA

India

→ राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है।

→ राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

→ यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हेतु

(समानुपातिक प्रक्रिया) के माध्यम से

पहले (Intra-Party)

भारत में (Intra-Party)

चुनाव होते हैं

के चुनाव संबंधी कोई

उसके बाद विभिन्न

प्रणाली नहीं है बल्कि

दलों के बीच

बहुदलीय चुनाव

प्रत्यक्ष चुनाव

द्वारा एक बार में

होता है।

ही चुनाव होता

है।

## निर्वाचन पद्धतियाँ

① USA -

- ① राष्ट्र प्रमुख (President) व उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ५ वर्ष के लिए होता है
- ② सीनेट (उच्च सदन) में प्रत्येक राज्य के २ सदस्य होते हैं जिनको उस राज्य की विधान सभा द्वारा चुना जाता है।

भारत

- ① भारत में लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होता है तथा प्रधानमंत्री सबसे बड़ा दल या गठबंधन के माध्यम से सरकार का वास्तविक प्रमुख बनता है।
- ② चुनाव (लोकसभा व विधानसभा) में 'first past the post system' व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के मामले में (समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली) का प्रयोग किया जाता है।

भारत: दोनो देश लोकसभा होते हुए भी विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं।

आप इस दृष्टिकोण से किस हद तक सहमत हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भारत में पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति की है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How far do you agree with the view that the National Green Tribunal (NGT) has met its objective of ensuring environmental justice in India? (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को इस हिसाब में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

पर्यावरणीय न्याय को सुनिश्चित करने हेतु NGT Act - 2010 के द्वारा NGT की स्थापना की गयी थी।

NGT का उद्देश्य

- 1) पर्यावरणीय संबंधी मामलों को जल्द-से-जल्द निपटान करके पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करना।
- 2) सामान्य न्यायालयों पर पड़ने वाले बोझ को कम करना।  
(HC व SC पर)
- 3) विशेषीकृत विशेषज्ञों द्वारा पर्यावरणीय तकनीकी पक्षों का दल निकालना।
- 4) प्रदूषण संबंधी मामलों पर (Suo Moto) संज्ञान लेकर मानव जीवन को सुरक्षित करना। / M.C. मेहता वाद में SC ने स्वच्छ पर्यावरण को Art-21 के अन्तर्गत जीवन का अधिकार माना।

3) EIA संबंधी मामलों का स्वरित  
निपटान करना। ताकि

पर्यावरणीय न्याय व योजना

समय से लागू हो  
पाये।

NCT की सीमाएँ

- 1) मामलों के निपटान में अत्यधिक  
समय लग रहा है।
- 2) पैटिंग केस बंद जा रहे  
हैं।
- 3) (नियुक्ति) की कमी है।
- 4) Andaman & Nicobar के (मेगा  
डेवलपमेंट) प्रोजेक्ट में विरोध  
के बाद भी NCT द्वारा हस्ताक्षर  
नहीं किया गया है।

अतः इन

समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न

कदम उठाये जाने चाहिए -

- ① NQT में खाती पदों को  
जल्द-से - जल्द करना।
- ② पर्यावरणीय मामलों से संबंधित  
केसों में NQT के निर्णय को  
सर्वोच्चता प्रदान करना।
- ③ निर्णय को समय-सीमा के  
दायरे में लाना।
- ५) प्रौद्योगिकी को (e-क्रान्ति) NQT  
के कार्यों से जोड़ना ताकि  
e-court की सुविधा बढ़ायी  
जा सके।

सारतः M.K. रंजीत सिंह  
वाद में SC द्वारा 'जलवायु परिवर्तन'  
के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण को  
Art-14 व Art-21 के अन्तर्गत  
मौलिक अधिकार माना है ऐसे में  
(NQT) का महत्व व अहमियत  
और बढ़ जाता है।

15.

यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए एक मंच बन गई हैं, किंतु इनका नियोजन एवं सेवा वितरण की एजेंसी के रूप में उद्भव नहीं हुआ है। क्यों? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Though Panchayati Raj Institutions (PRIs) have become a platform for competitive politics, they have not emerged as an agency of planning and service delivery. Why? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हार्डिक में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को मजबूत व सशक्त बनाने हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग - 9 जोड़ा गया तथा पंचायतों के निर्माण को संवैधानिक अनिवार्यता प्रदान किया गया।

PRIs का महत्व कथं है:

- 1) जनता से प्रत्यक्षतः सरोकार करना तथा उनकी समस्या-समाधान हेतु (निकट प्रशासन) सहयोग प्रदान करना।
- 2) (लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण) व (सहकारी लोकतन्त्र) को लागू करने में पंचायत का अत्यधिक महत्व है।
- 3) जनता शासन व प्रशासन से प्रत्यक्षतः जुड़ पाती है।

## PRIs का योगदान

उम्मीदवारों को  
इस हार्जिए में  
नहीं लिखना  
चाहिए  
Candidates  
must not  
write on  
this margin

- 1) महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा ।  
↳  $\frac{1}{3}$  पद महिला हेतु आरक्षण
- 2) SC व ST समुदाय हेतु आरक्षण  
द्वारा उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व  
में वृद्धि ।  
↳ सामाजिक न्याय का
- 3) (पेसा अधिनियम) के तहत अन्तर्देशीय  
क्षेत्रों में इसको लागू कर उनका  
विकास सुनिश्चित करना
- 4) कई राज्यों द्वारा OBC के लिए  
आरक्षण दिया गया है-  
↳ सामाजिक न्याय का
- 5) पितृसत्तात्मक मानसिकता को कम  
करने में PRIs का महत्वपूर्ण  
योगदान है।

ये सच्ची योगदान प्रतिस्पर्धी  
राजनीतिक में सहयोगी हुए किन्तु  
नियोजन व सेवा वितरण की श्रेणी

के रूप में PRLs का विकास नहीं हुआ।

क्योंकि -

1) PRLs को सीमित विषयों पर अधिकार प्रदान किसे गए.

Ex:- अनुसूची - 11 → 29 विषय

2) केंद्र / कित्त हेतु राज्य सरकारों पर ही निर्भरता है,

3) योजनाओं का निर्माण तथा संबंधित सेवा वितरण में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा (Top-to-Bottom) एप्रोच का पालन किया जाता है।

4) (स्थानीय संसाधनों) के प्रयोग पर भी कई रूपों में PRLs की शक्ति सीमित है।

सारतः गांधी के (पंचायती राज) के सपने तकनी साकार होंगे जब PRLs को (Bottom-to-Top) एप्रोच के तहत अधिकार शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी।

ई-गवर्नेंस में अंतरसंचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) से आप क्या समझते हैं? विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रणालियों की अंतरसंचालनीयता एवं एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)


What do you understand by interoperability in e-governance? What steps have been taken by the government to ensure interoperability and integration of various e-governance systems? (Answer in 250 words)

उम्मीदवारों को इस हिसाब में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

15

शासन में ICT (कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट) के प्रयोग को e-गवर्नेंस कहते हैं।  
e-गवर्नेंस में अंतरसंचालनीयता का संबंध सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थाओं के मध्य शासन संबंधी कार्यों को ICT के प्रयोग द्वारा बढ़ावा देना।

eg: सरकार की (e-क्रान्ति पहल)  
(50+ e-सेवा)



e-गवर्नेंस में इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व -

① कार्यों में तेजी आती है।

- ② योजनाओं से संबंधित नीति-निर्माण व क्रियान्वयन में जल्दी होती है।
- ③ 'एकीकरण' के वृद्धि से संसाधनों व समय का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग हो पाता है।

Ex: P. M. गति शक्ति हेतु 16 मंत्रालयों के बीच e-governance को बढ़ाना।

- ④ पारदर्शिता व जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।

इस संबंध (अंतरसंचालनीयता + एकीकरण) में किचे गए सरकारी प्रयास -

- ① DBT संबंधी सभी सहयोग हेतु PFMS पोर्टल लॉन्च करना।
- ② (उमंग ऐप) के माध्यम से सभी सरकारी केंद्र व राज्य, सेवाओं व योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
- ③ कोर्ट के लिए e-court की सुविधा शुरू करना।

- 4) कृषि संबंधी जानकारी हेतु विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग को e-कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- 5) किसान बाजार विषयों से जुड़े सके उसके लिए e-NAM की सुविधा।
- 6) ग्रामीण क्षेत्रों में किचे जा रहे कार्यों की 'GIS' मैपिंग तथा अको इंटरनेट से जोड़ना ताकि उसकी प्रगति पर जनता व सरकार दोनों के द्वारा ध्यान दिया जा सके।

चुनौती

→ व्यापक डिजिटल अवसंरचना आवश्यकता के कारण लागत अधिक  
→ डिजिटल लिटरेसी व डिजिटल डिवाइस की समस्या (ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय) मंचावित

साइबर सुरक्षा।

निजता संरक्षण खतरा (Art - 21) (उदाहरण के लिए)

साधन: सरकार सेवा वितरण

बेहतर करने व e-governance को बढ़ावा देने हेतु 'e-क्रांति' पहल के द्वारा 'गुड-गवर्नेंस' को बढ़ावा दे रही है।

17.

जब भारत में महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात आती है, तब अधिकार-आधारित विमर्श को न केवल सामाजिक मानदंडों द्वारा बल्कि कानूनी मानदंडों द्वारा भी बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

When it comes to sexual and reproductive health of women in India, rights-based discourse has largely been bypassed not just by the societal norms but also by the legal norms. Discuss. (Answer in 250 words)

15

NHFS-5 के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी मानकों में ग्रामीण क्षेत्रों व महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से खराब है।

इनमें से भी यौन व प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की ज्यादा खराब स्थिति है इसके विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं।

- 1) 'यौन स्वास्थ्य' को लेकर सामाजिक मानकों का विकेन्द्रित है इसके बारे में जागरूकता का अभाव है।
- 2) ग्रामीण क्षेत्रों में (संस्थागत प्रसव) को कर्तव्य की निगाह से देखा जाता है।
- 3) (यौन स्वास्थ्य) संबंधी सुरक्षा को सामाजिक स्तर पर खराब दृष्टिकोण से देखा जाता है।

उदा: (मेसडुमन हाइजीन) के बारे में

पैडमैन भूकी। में दिखाया गया।

उम्मीदवारों को  
इस हिसाब में  
नहीं लिखना  
चाहिए  
Candidates  
must not  
write on  
this margin

- 4) बालिकाओं व महिलाओं पर स्वास्थ्य खर्च करने से सामान्यतः परिवार बचते हैं। ( बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं )

दरअसल ये समस्याएँ इसलिए थी हैं क्योंकि ( स्वास्थ्य सुरक्षा ) को अधिकार के रूप में नहीं देखा जाता है। जबकि - कानूनी मापदण्डों पर भी इसका उल्लंघन हुआ है जैसे -

- ① National Health Mission को प्रभावी रूप से न लागू करना
- ② महिला स्वास्थ्य हेतु प्रभावी कानून का अभाव
- ③ ( यौन सुरक्षा ) हेतु ( सेनेटरी बैड ) व बेसिक इंफ्रा संबंधी कानून का अभाव हो।

किन्तु महिला यौन व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने

हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये गए हैं। जैसे -

- 1) प्रजनन स्वास्थ्य हेतु पोषण अभियान 2010 व ससम आँगनवाड़ी कार्यक्रम।
- 2) ( संरचनागत प्रसव ) प्रोत्साहन हेतु ( मातृत्व लाभ योजना )
- 3) ( यौन स्वास्थ्य ) हेतु जागरूकता कार्यक्रम तथा ( आशा ) कार्यकर्त्री द्वारा संपर्क करना।
- 4) ( आयुष्मान भारत योजना ) द्वारा स्वास्थ्य कीमत प्रदान करना।

विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी उपाय के बावजूद अभी भी महिला स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी है तथा SDG-2 व SDG-3 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

18.

पिछले कुछ वर्षों में भारत टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने में कितना प्रभावी रहा है? देश में टीकाकरण के प्रयासों को प्रभावित करने वाली चुनौतियां कौन-सी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How effective has India been in enhancing immunization coverage over the years? What challenges continue to affect immunization efforts in the country? (Answer in 250 words) 15

भारत अपने (इन्फ्रथनुष) मिशन के तहत टीकाकरण को व्यापक स्तर पर बढ़ा रहा है ताकि आधिकारिक लोगों तक टीकाकरण सुविधा को पहुंचाया जा सके।

भारत के टीकाकरण कवरेज की प्रभाविता -

- ① (वॉल्ड्स पोलियो) के मामले का भारत से पूर्ण इन्मूलन हो चुका है,
- ② टीरनेस, काला-अजार जैसे बीमारियों को रोकने हेतु प्रभावी रूप से टीकाकरण का प्रयोग हो रहा है।
- ③ टीकाकरण कवरेज के तहत भारत महिला, बच्चे व किशोरियों को लक्षित कर

है।

4) COVID-19 जैसे महामारी संबंधी टीकाकरण को भारत ने खेदपूर्वक तरीके से क्रिया-विरत किया।

3) काफी सारे बीमारियों के उन्मूलन में भारत के उल्लेखनीय कार्य किया है।

समस्त विद्यमान चुनौतियाँ

1) ~~वैकसीन~~ वैकसीन को सुरक्षित रखने वाले इंफ्रा का अभाव है।

( कोल्ड स्टोरेज बॉक्स )

2) टीका लगाने वाले ( कुशल कर्मियों ) का अभाव है।

3) COVID-19 जैसे महामारियाँ टीकाकरण की गति को रोक देती हैं जो पोलियो जैसे बीमारियों के पुनः प्रसार में

सहायता प्रदान कर सकता है।

4) सुदूर क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी अभाव के कारण कई समस्याएँ आती हैं।

5) आशिक्षा व जागरूकता अभाव के कारण कई लोग टीकाकरण करवाने से बचते हैं।

### टीकाकरण हेतु कार्यक्रम

→ मिशन इंप्रथनुय

→ आंगनवाड़ी व ANM के माध्यम से कुछ महीनों के अन्तराल पर (पोलियो) वैक्सीन देना।

→ COVID-19 में वैक्सीन प्रदान करना।

इसी वैक्सीन पहल को बढ़ावा देने हेतु भारत GAVI व WHO जैसे संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा है ताकि सार्वभौमिक टीकाकरण को लासित किया जा सके।

19.

भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को केंद्रीय मंच पर लाने के लिए किया है। अफ्रीका के विशेष संदर्भ के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)  
 India used its Presidency of the G20 to bring the voice of the Global South to the centre stage. Discuss with special reference to Africa. (Answer in 250 words)

उम्मीदवारों को इस क्षेत्र में नहीं लिखना चाहिए  
 Candidate must not write on this margin

15

हाल ही में भारत ने G-20 की अध्यक्षता की तथा अफ्रीकन यूनियन (AU) को 21वें सदस्य के रूप में शामिल करवाया।

भारत की यह पदम 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' व 'ग्लोबल साउथ' को मजबूती प्रदान करने हेतु की गयी।

### भारत के लिए अफ्रीका का महत्व

1) भारत अफ्रीका के साथ अपने आर्थिक हितों को बढ़ा सकता है।

2) Fig: भारत - साउथ अफ्रीका के बीच \$ 20 bn व्यापार है।

2) कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है।

Fig: India-Japan द्वारा India - Africa Growth Corridor का निर्माण किया जा रहा है।

- 3) सुरक्षा प्रदान करने में -
- ↳ पाइरेसी के खिलाफ
  - ↳ चीन प्रति संतुलन में
  - ↳ (IOR) व (SAGAR) पहल के अन्तर्गत
- 4) भारतीय प्रवासी की सुरक्षा में सहयोगी भूमिका प्रदान कर सकता है।
- 5) अफ्रीका ~~के~~ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है जोकि भारत की खनिज आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है।
- 6) 'चीना पुनर्स्थापना कार्यक्रम' में अफ्रीका ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- 7) P2P कनेक्टिविटी व सांस्कृतिक सहयोग (Track 3 diplomacy) को बढ़ावा देने में अफ्रीका का अत्यधिक योगदान है।

## Q20 के संदर्भ में अफ्रीका का महत्व-

- ① AU के शामिल होने से Q-20 की राजनीतिक स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर बढ़ जायेगी।
- ② Q-20 के निष्पक्ष और समावेशी प्रकृति के हो जायेंगे।
- ③ वैश्विक समस्याओं - जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो जायेगी।
- ④ (ग्लोबल साउथ) का स्थितिरेखन बढ़ेगा।

सारत: AU का Q20 में शामिल होना भारत के लिए शुभ संकेत है; अतः भारत को अपनी (Development Diplomacy) का प्रयोग करते हुए संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए।

पिछले दशक में भारत और UAE के बीच संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India's relationship with the UAE has witnessed a remarkable expansion across various domains in the last decade. Discuss. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को इस हार्जिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

भारत व UAE के बीच में पिछले १ दशकों से संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ रही है। UAE में भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समूह रहता है।

भारत - UAE  
सहयोग संबंध -


1) आर्थिक सहयोग

↳ हाल ही में India - UAE ने (CEPA) नामक FTA पर सन्मति किया है

↳ (रमीटेंस) का एक बड़ा स्रोत

2) तकनीकी सहयोग

↳ इससे द्वारा - UAE स्पेस एजेंसी को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है



3) कनेक्टीविटी सहयोग

IMEC कॉरिडोर भारत को यूरोप  
से UAE (अल एमिरात) के माध्यम  
से जोड़ेगा

4) ऊर्जा सहयोग

↳ भारत अपने तेल आयात का  
बड़ा हिस्सा UAE से करता है

5) संरचनागत सहयोग

↳ BRICS व I2U2 के माध्यम  
से,

6) समुद्री सुरक्षा सहयोग

↳ IOR एसोसिएशन व (SAGAR)

विभाग का भाग UAE भी है

7) सांस्कृतिक सहयोग

↳ एक बड़ी आबादी के UAE में  
रहने के कारण UAE ने  
दाल में (स्वामी नारायण मंदिर)

(BAPS) के निर्माण को  
अनुमति प्रदान की

⑧ UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन UAE करता है।

⑨ पश्चिम इतने सहयोग के बाद भी कुछ चुनौतियाँ व्याप्त हैं -

① समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंता।

↳ पाइरेसी, तस्करी आदि

② DCC का अस्तित्व होने के कारण UAE द्वारा भी (इस्तामिक विचारों) संबंधी मतभेद कभी-कभी देखने को मिलते हैं।

अंश :- CAA के संबंध में UAE ने विरोध अताया था।

सारत: UAE - India के संबंध वर्तमान में बहुत बेहतर हैं जो भारत (Look west)

नीति को प्रगाढ़ता प्रदान करता है तथा (पश्चिम एशिया) में भारत की रक्षित को मजबूती प्रदान करता है।

SPACE FOR ROUGH WORK

AL